# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 740/2011**

डॉ. अनिल कुमार शर्मा **–अपीलार्थी**

**बनाम**

**1.** राजस्थान राज्य जरिये उप शासन सचिव, पशुपालन विभाग, सचिवालय, जयपुर।
**2.** निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 06.04.2011
**आदेश की दिनांक** : 12.06.2024

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.09.2010 एवं 10.01.2011 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को दिनांक 03.07.2006 से द्वितीय एसीपी का लाभ दिया जावे और सूक्ष्म दण्ड पर विचार न करते हुये अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 1999–2000 के विरूद्ध वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे तथा वरिष्ठता का सही समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर हुई थी। अपीलार्थी जब विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति, अटरू में कार्यरत था तो उसे सीसीए नियम 17 के अंतर्गत दिनांक 03.04.1988 को यह आरोप लगाते हुये आरोप पत्र दिया गया कि अपीलार्थी ने अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही की है, जिसके कारण प्रहलाद

राज राठौड ग्राम सेवक से राशि रूपये 1,51,843/– की वसूली नहीं हो सकी। उनका कथन है कि सीसीए नियम 17 के अंतर्गत सूक्ष्म दण्ड होता है और दस्तावेजों के बिना प्रमाणित किये एवं अभिलेख पर बिना विचार किये अपीलार्थी को एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 172/2000 प्रस्तुत की और माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका को स्वीकार की। विभाग द्वारा पशु चिकित्सा अधिकारी की वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 1999–2000 के विरूद्ध वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति का हकदार है। परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी के मामले पर विचार नहीं करते हुये उससे कनिष्ठ कार्मिकों को उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान कर दी गई और अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2000–01 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई। जबकि वह रिक्ति वर्ष 1999–2000 के विरूद्ध वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति का हकदार था। परंतु सूक्ष्म दण्ड के आधार पर अपीलार्थी की पदोन्नति को रोका नहीं जा सकता। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति को एक वर्ष के लिये एवं एसीपी का लाभ भी एक वर्ष के लिये रोक दिया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु उसे निरस्त कर दिया गया। उनका यह भी कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सत्यमणि तिवारी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, देवी लाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य वाले मामले में यह आदेश पारित किया कि लघु दण्ड के आधार पर कार्मिकों के नाम पर पदोन्नति हेतु विचार किये जाने से वंचित नहीं रखा जा सकता। परंतु वर्तमान मामले में रिक्ति वर्ष 1999–2000 के विरूद्ध वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया गया, जो उक्त विधि के विरूद्ध है। वेतन निर्धारण नियम के आधार पर अपीलार्थी दिनांक 03.07.2006 से द्वितीय एसीपी प्राप्त करने का हकदार है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 03.07.2007 से द्वितीय एसीपी प्रदान की गई है, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.09.2010 एवं 10.01.2011 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को दिनांक 03.07.2006 से द्वितीय एसीपी का लाभ दिया जावे और सूक्ष्म दण्ड पर विचार न करते हुये अपीलार्थी को रिक्ति

वर्ष 1999–2000 के विरूद्ध वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे तथा वरिष्ठता का सही समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को एक वेतन वृद्धि भविष्य प्रभाव रोक जाने के दण्ड से दण्डित किया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से कर दी, जिसकी पालना विभाग द्वारा कर दी गई। एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव के दण्ड से दण्डित होने के कारण वर्ष 1999–2000 के विरूद्ध वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति नियमानुसार नहीं दी जा सकी। अपीलार्थी को नियमानुसार वर्ष 2000–01 में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गई। अपीलार्थी दिनांक 03.07.1986 से पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयनित है और 20 वर्ष की सेवा दिनांक 03.07.2006 को पूर्ण कर नवीन वेतनमान में दिनांक 01.09.2006 से वेतन प्राप्त करने की तिथी से द्वितीय एसीपी प्राप्त करने का अधिकारी था। अपीलार्थी को एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित होने के कारण द्वितीय एसीपी एक वर्ष आगे बढाते हुये स्वीकृत किया जाना नियमानुसार है, जिसके कारण अपीलार्थी को दिनांक 03.07.2007 से द्वितीय एसीपी देय है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर हुई थी। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को सीसीए नियम 17 के अंतर्गत दिनांक 03.04.1988 को यह आरोप लगाते हुये आरोप पत्र दिया गया और सीसीए नियम 17 के अंतर्गत अपीलार्थी को एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 172/2000 प्रस्तुत की और माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका को स्वीकार करते हुये एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी के बजाय असंचयी प्रभाव से रोके जाने का आदेश दिया। विभाग द्वारा पशु चिकित्सा अधिकारी

की अंतरिम वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2000 तक की स्थिति दर्शाते हुये जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 66 पर दर्शाया गया तथा राजेन्द्र कुमार शर्मा, पूनम चन्द शर्मा का नाम अपीलार्थी के बाद दर्शाया गया। जहां तक अपीलार्थी को सीसीए नियम 17 के अंतर्गत असंचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोके जाने के दण्ड से दण्डित होने पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर वर्ष 1999–2000 के बजाय वर्ष 2000–01 में पदोन्नति दिये जाने एवं एसीपी का लाभ नियत तिथी से एक वर्ष बाद दिये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव के दण्ड से दण्डित होने के कारण अपीलार्थी को 20 वर्ष की सेवा दिनांक 03.07.2006 को पूर्ण करने पर देय द्वितीय एसीपी उक्त दण्ड के कारण अपीलार्थी को नियत देय तिथी से एक वर्ष आगे दिनांक 03.07.2007 से प्राप्त करने का अधिकारी है। जहां तक अपीलार्थी को डीपीसी वर्ष 1999–2000 में उसके नाम पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार नहीं किये जाने का प्रश्न है, पत्रावली पर अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रमाणित हो कि अपीलार्थी के नाम पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा डीपीसी वर्ष 1999–2000 में उसके नाम पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार नहीं किया गया। इस प्रकार हम अपीलार्थी के तर्कों में कोई बल नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**